न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

29/12/16 वकुलाए फरीकैन/वादी/प्रतिवादी पीठासीन अधिकारी बाहर [illegible] है आयन्दा पत्रावली [illegible] ...8.1.17 को पेश होवे।

[signature]

12/2/17 वकुलाए फरीकैन उप. श्रीमान P.O. सहाब [illegible] राज कार्य मे व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक ...16.2.17... को उनके समक्ष पेश हो।

[signature]

16/2/17 वकुलाए फरीकैन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय स्थानान्तरण होने से आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक 20.4.17 को पेश हो

[signature]

20/4/17 वकुलाए फरीकैन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय स्थानान्तरण होने से आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक...3.5.17 को पेश हो

[signature]

3/5/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक...1.6.17 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

1/6/17 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली का निस्तारण नहीं होने से आईन्दा पत्रावली न्याया0 हाजा में दिनांक..26.9.17 को पेश हो।

एस डी ओ/ रीडर

26/9/17 पत्रावली पेश हुई। वादी व उसका वकील उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई [illegible] कोई उपस्थित नहीं। [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर

पीठासीनअधिकारी--पुष्करराज शर्मा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 103 / 07

दायर दिनांक 22.05.2007

निर्णय दिनांक 18-4-2012

1. मनोहरलाल पुत्र घीसा राम जाति अहीर निवासी ग्राम पाटनअहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:- वादी

वनाम

1. श्रीराम
2. काशीराम
3. जयराम पुत्रान घीसाराम अहीर
4. कोका देवी बेवा दाताराम
5. रमेश
6. कृष्ण पुत्रान दाताराम
7. ममता पुत्री दाताराम जाति अहीर निवासी ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
8. सावत्री पत्नी सत्यपाल जाति अहीर साकिन बपास तहसील पटोदी जिला गुडगावा (हरि0) हाल पाटन अहीर तह0 कोटकासिम।
9. फूलसिह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
10. तहसीदार (लैण्ड होल्डर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
11. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:- प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हु0 दवामी

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री शीतल प्रसाद चौधरी - वादी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी आराजी खसरा नं0 44/0–12, 67/0–05, 82/0–08, 117/0–14, 163/1–03, 756/0–07, 942/7–03, 943/1–06 कुल किता 8 कुल रकबा 11–18 बीघा वाके मौजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे व खसरा नं0 668/3–07 बीघा, 664/2–15, बीघा कुल किता दो कुल रकबा 6–02 बीघा वाके ग्राम धीरधोका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण की सह–खातेदारी कुल आराजी यही है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त सह खातेदारी की आराजी है। जिसे वादी व प्रतिवादीगण अब तक काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर अपनी–अपनी सुविधानुसार अपने–अपने हिस्सेनुसार बाहमी तकासमा किया हुआ है। लेकिन कागजात माल मे यह विवादित आराजी सह हिस्सेदारान मे दर्ज है। प्रतिवादीगण वादी की उसकी हिस्से सह–खातेदारी की आराजी मे काश्त करने मे मजामहत पैदा करते है यहाँ तक कि उसके हिस्से की आरजी भी हडपना चाहते है। इसलिए वादी को दावा करना लाजिम आया है। दाताराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी विरासत का इंतकाल प्रतिवादी सं0 4,5,6,7, के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है इसलिये उनको फरीक मुकदमा बनाया गया है जिसका इंतकाल नम्बर (विरासत) 556 है। तथा कृष्ण पुत्र दाताराम ने अपनी हिस्से की आराजी मे से 1/20 भाग मे से सावित्री पत्नी सतपाल अहीर हिस्सा 1/12 खसरा नं0 942 मे से प्रतिवादी सं0 8 सावित्री देवी पत्नी प्रतिवादी सं0 8 को स्वीकार हो चुका है तथा आराजी खसरा नं0 163 रकाब 1–03 बिस्वा का बैयनामा बहक फूलसिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर प्रतिवादी सं0 9 कराया गया है। यह जयराम पुत्र घीसाराम प्रतिवादी सं0 3 द्वारा ही बेचान किया गया है तथा उसी के द्वारा बैयनामा आराजी प्रतिफल प्राप्त किया गया है। अन्य सह–हिस्सेदारन द्वारा प्रतिफल प्राप्त नही किया गया है। चुँकि मौके पर सह हिस्सेदार के बीच विवादित आराजी का बाहमी तकासमा किया हुआ था तथा उस बाहमी तकासमे मे खसरा नं0 163/1–03 बिस्वा अकेले जयराम प्रतिवादी सं0 3 के ही हिस्से मे आया हुआ था तथा प्रतिवादी सं0 3 ही कब्जे काश्त मे था। क्योकि कागजात माल मे अन्य हिस्सेदारन का नाम भी अंकन था इसलिये भाई–बन्ध होने के कारण तथा विश्वास पर हम सभी सह हिस्सेदारान ने बैयनामे पर बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये अपने हस्ताक्षर कर दिये। जबकि यह आराजी जयराम प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से मे आई हुई होने के कारण प्रतिवादी सं0 3 द्वारा ही बेची गई है।

वादी विवादित आराजी वाके ग्राम पाटनअहीर मे बाहमी तकासमे से खसरा नं0 943 सालिम व खसरा 942 रकबा 7–03 बिस्वा मे से 1–02 बिस्वा वाके ग्राम पाटन

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अहीर पर काबिज है एव दाखिल है। जिसका वक्त बाहमी तकासमा से आराजी पर दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं आराजी का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूॅ। तथा आराजी खसरा नं0 668 व 664 वाके ग्राम धीरधोका तह0 कोटकासिम मे से वादी के हिस्से की आराजी 1–04 बिस्वा है जिसे वह खसरा सं0 664 रकबा 2–15 बिस्वा मे से अपनी हिस्से की आराजी 1–04 बिस्वा पर काबिज व दाखिल है। इस प्रकार वादी मुताबिक बाहमी तकासमा खसरा नं0 943 सालिम व 942 मे से 1–2 बिस्वा कुल रकाबा 2–08 बिस्वा वाके ग्राम पाटन अहीर व खसरा सं0 664 रकबा 2–15 बिस्वा मे से अपने हिस्सेनुसार 1–04 बिस्वा पर काबिज है। वादी के हिस्से मे कुल आराजी 3–12 बिस्वा आती है जिसका व तकासमा कराने का अधिकारी है।

वादी अकेला व गरीब आदमी है। जिसे प्रतिवादीगण के साथ सह–हिस्सेदारी मे काश्त करना नामुनकिन हो गया है तथा अन्य लाभ भी प्राप्त नही कर सकता तथा आये दिन प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमदा रहते है तथा ऐलानिया कहते है कि हम तुझे तेरे हिस्से की आराजी से बेदखल करेगे। इसलिये प्रतिवादीगण जरिये हु0ई0 से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः डिक्री इजराय तकासमा इस अमर की जारी की जावे कि वादी विवादित आराजी खसरा नं0 44/0–12, 67/0–05, 82/0–08, 117/0–14, 163/1–03, 756/0–07, 942/7–03, 943/1–6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम मे से खसरा सं0 943 का सालिम भाग 1–06 बिस्वा व खसरा नं0 942 रकबा 7–03 बिस्वा मे से 1–02 बिस्वा कुल 2–08 बिस्वा एवं आराजी खसरा नं0 668/3–07 बिस्वा, 664/2–15 बिस्वा वाके ग्राम धीरधोका तह0 कोटकासिम मे से खसरा नं0 664/2–15 बिस्वा मे से 1–04 बिस्वा आराजी का तकासमा किया जाकर कुरेजात कायम कर मिन वादी के नाम अलहदा खाता कायम कर कागताज माल से अमल कराया जावे।

डिक्री हु0 ई0 दवामी कि इस अमूर की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त विवादित सह खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल न करे, न काश्त बोने, दरो करने मे रूकावट पैदा करे तथा न ही विवादित आराजी को किसी अन्य के पक्ष मे किसी प्रकार से रहन, बय हिबा आदी से मुन्तकिल करे।

दीगर दादरसी नजदीक अदालत अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 द्वारा बावजुद तामील कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं0 8 व 9 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं0 10 व 11 द्वारा बावजूद तामील जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से पी डब्ल्यू 1 मनोहरलाल वादी पी डब्ल्यू 2 रामदयाल पी डब्ल्यू 3 बलबीर के सशपथ बयान प्रस्तुत किये एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2063—67 ग्राम पाटन अहीर, नकल जमाबन्दी सम्वत 2064—67 ग्राम धीरधोका प्रस्तुत की गई।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता की बहस है कि दावा तकासमे का है। प्रतिवादीगण वादी को उसके सह खातेदारी की आराजी मे बाधा उत्पन्न करते है। मौके पर सह खातेदारान ने आपसी विभाजन कर रखा है। अतः वाद के बिन्दु सं0 9 के अनुसार तकासमा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

हमने वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। साक्ष्य मे दिये शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दीयो के अनुसार विवादित आराजी उभय पक्षकारो की सम्मिलित आराजी है। जिसका तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता कि आराजी खसरा नं0 44/0—12, 67/0—05, 82/0—08, 117/0—14, 163/1—03, 756/0—07, 942/7—03, 943/1—06 कुल किता 8 कुल रकबा 11--18 बीघा वाके मौजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम व खसरा नं0 668/3—07 बीघा, 664/2—15, बीघा कुल किता दो कुल रकबा 6—02 बीघा वाके ग्राम धीरधोका तहसील कोटकासिम का अच्छी मे से अच्छी, बुरी मे से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर प्रथक से लगान कायम कर 15 दिवस मे इस न्यायालय को प्रेषित करे। तहसीलदार कोटकासिम को पालना के लिए पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18—4—2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner